2018 का विधेयक संख्यांक 69

(दि इंडियन मेडिकल कांउसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन)

विधेयक, 2018

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

5 (2) यह 26 सितम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3क का संशोधन ।

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3क में,– 1956 का 102

(क) उपधारा (1) में, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "और आयुर्विज्ञान शिक्षा" शब्दों के स्थान पर, "और आयुर्विज्ञान शिक्षा या साबित प्रशासनिक सामर्थ्य और अनुभव" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(7क) शासी बोर्ड की ऐसे महासचिव द्वारा सहायता की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह परिषद् में सचिवालय का प्रधान होगा ।" ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को निरसित किया जाता है । 2018 का अध्यादेश सं0 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पुनर्गठन का और भारत के लिए एक चिकित्सक रजिस्टर रखे जाने का तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । भारतीय चिकित्सा परिषद् (उक्त परिषद्) के मुख्य कृत्य केन्द्रीय सरकार को चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता, अध्ययन पाठ्यक्रमों का अवधारण करने और ऐसी अर्हताओं को अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित परीक्षाओं, परीक्षाओं के निरीक्षण और चिकित्सीय व्यवसायियों के रजिस्टर को बनाए रखने आदि मामलों के संबंध में सिफारिश करना है।

2. उक्त परिषद् का कार्यकरण काफी लंबे समय से संवीक्षाधीन रहा है और उसकी अनेक विशेषज्ञ निकायों द्वारा समीक्षा की गई थी, जिनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विभाग संबंधी संसदीय समिति भी सम्मिलित थी, जिसने मार्च, 2016 में अपनी बानवेवीं रिपोर्ट में उक्त परिषद् पर गंभीर अभ्यारोपण किए थे । समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार को यथाशीघ्र संसद् में एक नया व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिससे आयुर्विज्ञान शिक्षा और आयुर्विज्ञान व्यवसाय की विनियामक प्रणाली की पुनः संरचना और पुनरुद्धार किया जा सके तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में सुधार लाया जा सके । तद्नुसार, दिसंबर, 2017 में लोक सभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया गया था और वह लंबित है ।

3. तथापि, इसी दौरान, उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों की अवहेलना करते हुए उक्त परिषद् द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा उक्त परिषद् के स्थान पर एक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने के लिए तुरंत उपाय किया जाना अपेक्षित था जिससे कि देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता को लाया जा सके । अतः, यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अधिक्रांत किया जाए और उसके कार्यों को एक शासी बोर्ड को जिसमें विख्यात डाक्टर सम्मिलित होंगे, एक वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक जब तक कि उक्त परिषद् का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सौंप दिया जाए ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अत्यावश्यक विधान बनाया जाना अपेक्षित था, इसलिए, राष्ट्रपति ने 26 सितंबर, 2018 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया था, जो, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :--

(क) विद्यमान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अधिक्रांत करने के लिए और जब तक उक्त परिषद् का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, तब तक शासी बोर्ड में उसकी शक्तियां निहित करने ;

(ख) एक वर्ष की अवधि के भीतर परिषद् के पुनर्गठन के लिए उपबंध करने हेतु धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (4) का संशोधन करने ;

(ग) धारा 3क की उपधारा (4) के संशोधन करने, जिससे कि शासी बोर्ड के लिए सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए अर्हता के रूप में भी साबित प्रशासनिक सामर्थ्य और अनुभव को जोड़ा जा सके ; और

(घ) उक्त धारा में एक नई उपधारा (7क) के अंत:स्थापन का उपबंध करने, जिससे शासी बोर्ड की ऐसे महा सचिव द्वारा सहायता की जा सके, जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह परिषद् में सचिवालय का प्रधान होगा ।

5. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
6 दिसंबर, 2018

जगत प्रकाश नड्डा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 2 का उपखंड (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3क का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य बातों के साथ, विद्यमान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के स्थान पर एक वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक, जब तक कि उक्त परिषद् का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता या कोई अन्य व्यवस्था, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नहीं कर दी जाती, सात से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक शासी बोर्ड के गठन के लिए उपबंध करती है । धारा 3क की नई प्रस्तावित उपधारा (7क), प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर एक महा सचिव की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है, जो उक्त परिषद् के सचिवालय का प्रधान होगा । शासी बोर्ड का अध्यक्ष और उसके पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य ऐसी आसीन होने संबंधी फीस और अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं । इसके अतिरिक्त, महा सचिव अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वेतन और भत्तों के लिए हकदार होगा । यह आशा की जाती है कि आसीन होने संबंधी फीस और यात्रा तथा अन्य भत्तों से संबंधित ऐसा व्यय अल्पतम होगा और उसकी पूर्ति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की निधियों में से की जाएगी ।

विधेयक में चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2018-19 के दौरान आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय परिकल्पित नहीं है ।

उपाबंध

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 102) से उद्धरण

* * * * *

केंद्रीय सरकार की परिषद् को अतिष्ठित करने और शासी बोर्ड का गठन करने की शक्ति ।

3क. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की तारीख से ही परिषद् अतिष्ठित हो जाएगी और परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे तथा उनका किसी भी प्रकार के किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं होगा । 2010 का 32

(2) परिषद् का पुनगर्ठन, उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अतिष्ठित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, किया जाएगा ।

* * * * *

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, शासी बोर्ड का गठन करेगी, जो उसके सदस्यों के रूप में सात से अनधिक ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जो औषध और आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों में विख्यात और अनाधिक्षेपणीय सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जो या तो नामनिर्दिष्ट सदस्य या पदेन सदस्य हो सकेंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा ।

* * * * *

(7) शासी बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके दो-तिहाई सदस्यों से मिलकर होगी ।

* * * * *

MGIPMRND—2248LS(CRC)—10-12-2018.